

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/216832/AZM/AZAMGARH/3082/CFO

दिनांक: 03-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **GYAN CENTRAL ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **523, BHARTHIPUR PALHANA, BHARTHIPUR PALHANA, AZAMGARH** तहसील - **MEHNAGAR**, प्लॉट एरिया **7480.00 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2765.00** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
GYAN CENTRAL ACADEMY	2	0	6.70 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **GYAN CENTRAL ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-09-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GYANMATI SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-09-2026** से **05-09-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **GYAN CENTRAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **GYAN CENTRAL ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवाये अधिनियम 2022 के धारा-26(5) के तहत भवन स्वामी/प्रबंधक को भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की रख-रखाव एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र किसी प्रशिक्षित एवं योग्य एजेंसी/व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर वर्ष में दो बार (माह जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक माह फायर mock drill, स्टाफ की फायर ट्रेनिंग, documentation मानकों के अनुसार करना आवश्यक होगा। भवन का अधिभोग अथवा ढाचागत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये।

E-Mail ID: gcaedu19@gmail.com

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(VIVEK KUMAR SHARMA)

[5993EE52E83F542DF39ADD99A01F7F9412FB3ED9]

06-09-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 06-09-2026

स्थान : AZAMGARH